संख्याःई.डी.एन.एच(प्रा.)1/2012
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला– 171001, 9अप्रैल,2012

सेवा में

समस्त उप निदेशक(उच्च शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश ।

समस्त उप निदेशक(प्रार0 शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश ।

विषयः वर्ष 2012 के राष्ट्रीय /राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार बारे।

महोदय,

जैसा कि आप को विदित ही है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर प्रतिभाशाली अध्यापकों को राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित करती है । इस सन्दर्भ में आप को सूचित किया जाता है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी वर्गों के पात्र अध्यापकों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों के मामलों का निपटारा जिला स्तर गठित की गई कमेटी द्वारा किया जायेगा । जिला स्तर की कमेटी प्रत्येक श्रेणी के पात्र दो–दो शिक्षकों के नाम प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित की गई कमेटी को 31 मई, 2012 तक प्रेषित करेंगे ।

अतः इस सन्दर्भ में आप को निर्देश दिये जाते है कि वर्ष 2012 के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार के सभी मामलों का सम्प्रेषण 31 मई, 2012 तक निर्धारित प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों (जो 10 पृष्ठों से अधिक न हो)सहित (पृष्ठ संख्या 1 से 5 के अनुसार) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे मामलों पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर वांच्छित कार्यवाही की जा सके । उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त मामलों पर विभाग द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्व किसी प्रकार का न्यायिक मामला/छानबीन लम्बित तो नहीं है, मामले के साथ ही प्रेषित करें ।

आप को जैसा कि विदित ही है निदेशालय द्वारा जारी पत्र समसंख्यक दिनांक 26 अप्रैल, 2010 के अनुसार आप को विस्तृत जानकारी पहले ही दी जा चुकी है ।

........2.......

के अनुसार ही जिला स्तरीय कमेटी गठन कर निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापकों का चयन जिला स्तर पर श्रेणीवार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन कर हर श्रेणी के दो –दो शिक्षकों के नाम 50 प्रतिशत से अधिक अंक वालों के नाम पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सील बन्द लिफाफे में मामले के साथ प्रेषित करें। मामले निर्धारित मापदण्डों के आधार पर न हो तो उन मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा । इसे समयबद्ध समझें । किसी भी प्रकार की कोताही के लिये आप स्वयं जिम्मेबार होंगे ।

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला–171001, 9 अप्रैल,2012

प्रतिलिपिः

1. प्रधान सचिव(शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 को सूचनार्थ प्रेषित हे ।
2. निदेशक(उच्च शिक्षा)हिमाचल प्रदेश शिमला–1 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि संलग्न मापदण्डों के आधार पर कमेटी के गठन हेतु समस्त जिलों के उप निदेशक(उच्च शिक्षा)को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें व मामले उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित करने बारे आदेश दें ।
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे सभी राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार मामले समस्त औपचारिताओं को पूर्ण करते हुए जिला स्तरीय कमेटी (उपनिदेशक/सदस्य सचिव) को निर्धारित समयावधि में भेजना सुनिश्चित करें ।

Directorate of Elementary Education
10 APR 2012

निदेशक